प्रश्न सं. [क्र. 3574]

आरक्षित वनक्षेत्र में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में नई कटाई सफाई, वृक्षों की अवैध कटाई / नुकसानी पहुंचाने / क्षेत्र में खेती का प्रयास / पशु अतिचार / पशु चराना / पत्थर की खुदाई, लकड़ी का कोयला बनाना / खेती व अन्य प्रयोजन के लिये भूमि को साफ करना / भूमि तोड़ना / खेती करना / शिकार के प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही के प्रावधान हैं। इसी प्रकार संरक्षित वन में उपरोक्त सभी कृत्य धारा 33 में वर्जित हैं। वन अपराध में वन उपज एवं प्रयुक्त वाहन/औजार/नाव/यान आदि वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित किये जा सकते हैं एवं उक्त सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिक्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट पर अधिहरण की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। वनोपज का अवैध परिवहन (बिना अनुज्ञा पत्र) के करने पर धारा 42 एवं मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही के प्रावधान हैं। विनिर्दिष्ट वन उपज के प्रकरण में अपराध होने पर मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है। वन्यजीव अपराध के प्रकरणों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही वन अधिकारी द्वारा की जाती है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग